डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति -पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 1991—अग्रहायण 29, शके 1913

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)— कुछ नहीं

भाग ४ (ख) कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 1991

क्र. 1391-1383-बाइस-पी-2-91.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1990 (क्र. 13 सन् 1990) की धारा 93 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 40 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम जो कि उक्त अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात्:—

नियम.

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि तथा कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1991 है.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1990 (क्रमांक 13 सन् 1990);

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा.

3. स्थायी समितियों के सदस्यों की अवधि.—ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अवधि वही होगी, जो ग्राम पंचायत की हो.

4. आकस्मिक रिक्ति.—स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य या उसके अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अनर्हता या उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई समझी जाएगी और ऐसी रिक्ति यथा साध्य शीघ्रता से भरी जाएगी.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 1991

क्र. एफ-16-28-88-चौंतीस-1.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. (1) नियम 6 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के उस प्रतिशत से, जो अनुसूची दो में दर्शाया गया है, अधिक नहीं होगी".

(2) अनुसूची दो में, सहायक यंत्री (सिविल) तथा सहायक यंत्री (मेकेनिकल) के सामने कॉलम (4) तथा (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(4)	(5)
50 प्रतिशत	35 प्रतिशत उपयंत्री संवर्ग से 5 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार संवर्ग से. 10 प्रतिशत उपाधिधारी उपयंत्री संवर्ग से

2. यह संशोधन 7 फरवरी, 1989 से स्थापित किया गया समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. तैमनी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 1991

क्र. एफ-16-28-88-चौंतीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-16-28-88-34-1. दिनांक 7 सितम्बर 1991 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. तैमनी, सचिव.